बिहार सरकार

समाहरणालय, गया

(आपदा प्रबंधन शाखा)

सूचना

(प्रवासी मजदूर निष्क्रमण सहायता योजना)

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से मुख्यमंत्री विशेष सहायता अर्न्तगत बिहार के विभिन्न कोरंटीन केन्द्रों पर या होम कोरेंटीन पर रहे बिहार के बाहर से रेलवे, बस या अन्य साधनों के द्वारा आये प्रवासी मजदूर को सहायता राशि के रूप में रेल किराया तथा रू० 500 सहायता राशि जोड़कर (देय राशि कम से कम रू० 1000) दिये जाने का प्रावधान है।

यह योजना केवल उन्ही प्रवासी मजदूर के लिए है जो बिहार राज्य के निवासी है एवं बिहार के बाहर से रेलवे, बस या अन्य साधनो के द्वारा आये हैं तथा बिहार में अवस्थित विभिन्न कोरंटीन केन्द्रों पर या होम कोरंटीन पर रहे है, इसके लिए जरूरी कागजात निम्नलिखित है :–

1. लाभार्थी के रेल टिकट की प्रति (यदि हो तो)।
2. लाभार्थी के नाम से बैंक खाता संख्या एवं IFSC Code जो किसी बैंक के ब्रांच में हो।
3. आधार कार्ड।

अन्य महत्वपूर्ण बातें–

1. मोबाइल नंबर SMS भेजने के लिए उपयोग में लाया जायेगा।
2. इससे संबंधित सहायता सिर्फ बैंक खाता में ही भेजा जायेगा।

अस्वीकृत लाभार्थी का खाता संख्या कैसे अपडेट करें?

1. http://www.aapda.bih.nic.in पर जाये।
2. "आपदा सम्पूर्ति पोर्टल बिहार प्रवासी मजदूर निष्क्रमण सहायता" पर क्लीक करें।
3. "अस्वीकृत लाभार्थी की खाता संख्या अपडेट करे" पर क्लीक करे।
4. लाभार्थी जिला, प्रखंड एवं कोरंटीन केन्द्र का चयन कर मोबाईल नं० डाले।
5. ओटीपी प्राप्त करें।
6. ओटीपी सत्यापन करें तथा खाता संख्या एवं आधार संख्या अपडेट करें।

नोट :–लाभार्थी सहायता का लाभ पंचायतवार कैम्प अथवा अंचल के आर०टी०पी०एस० कॉउंटर के माध्यम से भी उठा सकते है।

PR-3397 (District) 2020-21

जिला पदाधिकारी, गया

नोवल कोरोना के संबंध मे विस्तृत जानकारी एवं सहयोग हेतु 24x7 Toll Free No **104** पर सम्पर्क कर सकते है।

किसी भी तरह आपदा की जानकारी अथवा मदद हेतु आपदा प्रबंधन के हेल्पलाइन नं. 1070 पर सम्पर्क किया जा सकता है।